कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,फिरोजाबाद

पत्रांक 125 /लखी   दिनांक 22/1/16

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फिरोजाबाद।

विषय :- भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को जनपद फिरोजाबाद में टूण्डला एटा मार्ग (राज्य मार्ग-31) के किमी0 6 के चैनेज 5.718 पर खसरा नं0 238 ग्राम कोटकी, तहसील-टूण्डला, जिला फिरोजाबाद में रिटेल आउटलेट के स्थापित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक 370/पैट्रोल सहायक/एन0ओ0सी0/2015 दिनांक 29.09.2015

महोदय,

मुख्य अभियन्ता,आगरा क्षेत्र,लो0नि0वि0,आगरा के पत्रांक 313/116सी0-आ0क्षे0/2016 दिनांक 12.01.2016 में दी गयी शर्तों के अनुसार अनापत्ति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रस्तावित बफर स्ट्रिप,डिस्ट्रीब्यूशन पम्प एवं निर्माण की अनुमति सड़क मध्य से क्रमशः 22.86 मी0 एवं 30.36 मी0 की दूरी पर निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

क. प्रस्तावित बफर स्ट्रिप,डिस्ट्रीब्यूसन पम्प एवं निर्माण की अनुमति,सड़क मध्य से क्रमशः 22.86 मी0 एवं 30.36 मी0 की दूरी से बाहर होगा।
ख. आवेदक को निर्माण पैट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के पश्चात अपने निजी खर्चे से दोनों ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0,की विशिष्टियों के आधार पर कराना होगा तथा 15 वर्ष के लिए लीज एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (एनेक्जर-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया जाये। एग्रीमेन्ट की फीस सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त निर्धारित 3 माह के अन्तर्गत अवश्य जमा करा ली जायेगी।
ग. आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा कि पैट्रोल पम्प लगाने के उपरान्त किसी भी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।
घ. आवेदक को किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षाती पानी का बहाव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये किसी भी दशा में नाली को बन्द नहीं किया जायेगा। साथ-साथ यह भी सुनिश्चित कराना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।
ड. मार्ग के पैट्रोल पम्प के स्थल का लेबिल मार्ग के लेपित सतह से ऊँचा नहीं रखा जायेगा।

उपरोक्त के अलावा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0-33023/19/99 डी0ओ0-।।। दिनांक 31.08.2000 एवं आर0डब्लू0/एन0एच0 -33023/19/99 डी0ओ0-।।। दिनांक 25.09.2003/17.10.2003 में दी गयी गाइड लाईन एवं शर्तों का अपने स्तर से अनुपालन भी आवेदक से कराना आवश्यक होगाः-

1. प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0कोड संख्या 12-1983 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय,भारत सरकार की विशिष्टियों के अनुरूप कराया जाये।

3. प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के पहुँच मार्गों निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच साइड खंदी में चौ0 1.00 मी0 की ड्रेन बनाकर उसके ऊपर स्टील पाइप के कैटिल कैचर बना दिया जाये। ताकि रोड की सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साइड ड्रेन से होकर आगे प्राकृति नाली/नाले में बह सके। किसी दशा में नाली/नाले को बन्द नहीं किया जायेगा एवं साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सडक पर न आने पाये।
4. प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0-13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
5. प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के **Paved Area** का लेबिल सड़क के पेन्टेड सतह के मध्य बिन्दु के लेबिल से 0.50 मी0 नीचे रखा जाये।
6. बफर स्ट्रिप के पास हैजेज की ऊँचाई 60 सेमी0 से ऊपर न रखी जाये।
7. प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0 मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामिग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य से 50 मी0 की दूरी से कम पर कोई भवन निर्माण नहीं होना चाहिए।
8. प्रस्तावित स्थल सड़क के 300 मी0 दोनों ओर रोड क्रासिंग नहीं होनी चाहिये।
9. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
10. प्रस्तावित पैट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने के पूर्व प्रार्थी को अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,फिरोजाबाद से लाइसेन्स डीड कराना आवश्यक है।
11. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाये इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा इसमें भूमि विवाद अथवा अन्य कोई विवाद की स्थिति में दी गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र को स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
12. आई0आर0सी0-13 के अनुसार मार्ग पर 300 मी0 दूरी तक कोई पेट्रोल पम्प स्थापित नहीं है। सुनिश्चित किया जाये।
13. लो0नि0वि0 मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर उक्त कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा।
14. समय-समय पर निर्गत विभागीय/शासकीय शासनादेश ही अन्तिम माना जायेगा, जो आवेदक को मान्य होगा। अनापत्ति पत्र कभी भी बिना कारण बताये निरस्त अथवा वापिस लिया जा सकता है जिसमें आवेदक का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार प्रकरण मानचित्र की दो प्रति।

22/1/16

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
फिरोजाबाद
22/1/2016

पत्रांक एवं दिनांक यथोपरि :-

प्रतिलिपि : मुख्य अभियन्ता,आगरा क्षेत्र,लो0नि0वि0,आगरा को उनके पत्रांक 313/116सी0-आ0क्षे0 /2016 दिनांक 12.01.2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियन्ता,मैनपुरी वृत,लो0नि0वि0,मैनपुरी को उनके पृष्ठांकन 369/29सी0- मै0 वृ0 /16 दिनांक 14.01.2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अवर अभियन्ता(प्रा), निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,फिरोजाबाद को सूचनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
फिरोजाबाद